न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या — 11/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये विकास अधिकारी, पंचायत समिति सायला		1.श्रीमति सुमन पत्नि गौतमचन्द, जैन, जाति जैन, निवासी सायला, जिला जालोर 2.ग्राम पंचायत सायला जरिये सरपंच,

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :-

1.श्री प्रवीणसोलंकी, अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से।

2.अप्रार्थी सं.1,2 अनुपस्थित।

निर्णय — दिनांक 31.5.2018

1. प्रार्थी के अनुसार निगरानी प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत सायला द्वारा दिनांक 14.2.2013 को एक पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157(1) को आधार बनाकर अप्रार्थी सं.1 के पक्ष में जारी किया गया। उक्त पट्टे के उतर में-रास्ता भुजा 100फीट,दक्षिण में-सुमनदेवी स्वयं व उषादेवी/हीराचन्दजी जैन भुजा 100 फीट, पूर्व में-रास्ता भुजा 25फीट,पश्चिम में-रास्ता भुजा 25फीट,कुल क्षैत्रफल 277.78वर्गगज अर्थात् 2500 वर्गफीट है। उक्त प्लोट अप्रार्थी सं.1 ने जरिए बैचान दस्तावेज के वस्तुपाल पुत्र शिवराजजी जाति जैन निवासी सायला से खरीद किया था जिसका पंजीयन सब रजिस्ट्रार सायला में किया गया हे। उक्त रूपान्तरित प्लॉट रूपान्तरित आबादी भूमि खसरा नम्बर 4028/1874 रकबा 0.24 हैक्टर में से 2356 वर्गमीटर की आयी हुई है। उक्त रूपान्तरित आबादी भूमि का संपरिवर्तन आदेश तहसीलदार सायला ने जरिये न. /रेवेन्यू/12/ 1668-72 दिनांक 17.8.12 को जारी किया गया था। उक्त बैचान दस्तावेज के जरिये प्लॉट सं.79 **व 94** अप्रार्थी सं.1 द्वारा खरीदा गया था जिसके पडौस पूर्व में-20फीट चौडा रास्ता भुजा 25फीट,पश्चिम में-20फीट चौडा रास्ता भुजा 25फीट,उत्तर में-20फीट चौडा रास्ता भुजा 100फीट, दक्षिण में-प्लॉट सं.78व95 भुजा 100फीट,कुल क्षैत्रफल

2500वर्गफीट है,अर्थात् इससे स्पष्ट हैं कि अप्रार्थी सं.2 द्वारा दिये गये उक्त पट्टे व अप्रार्थी सं.1द्वारा खरीद प्लॉट के पडौस अलग अलग है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) में पुश्तैनी आवासीय गृहों का विनियमितिकरण करने का प्रावधान है जबकि उक्त पट्टे को अप्रार्थी सं.2 द्वारा खरीदसुदा व रूपान्तरित भूमि का अप्रार्थी सं.1 को पुश्तैनी आधार पर बताकर पट्टा दिया गया है जो विधि विरूद्ध है क्योंकि रूपान्तरित भूमि का पट्टा नही बनता है। प्रार्थी द्वारा पट्टे की प्रमाणित प्रति अप्रार्थी सं.1 से मांगी जो दिनांक 7.3.2016 को नकल प्राप्त होने पर यह निगरानी अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अतः ग्राम पंचायत सायला द्वारा जारी पट्टा कमांक 2329 दिनांक 14.12.2013 को निरस्त करावे। प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थनापत्र के साथ शपथपत्र,धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ पट्टा सं. 2329 की प्रमाणित प्रति पेश की,इस पर निगरानी दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

4. अप्रार्थी सं.1,2 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित है।

5. प्रार्थी वकील की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने निगरानी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व प्रार्थी की निगरानी स्वीकार कर अप्रार्थी सं.1 को जारी पट्टा सं. 2329 को निरस्त करने का निवेदन किया।

4. प्रार्थी की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। रैकार्ड में मूल मिसल सं.129, राशि 260/-(आवेदन शुल्क 10/-, मौका निरीक्षण 25/-,नक्शा 25/-,पट्टा 200/-)की जमा की रसीद सं. 329 दिनांक14.2.2013 तथा पट्टे की कार्यालय प्रति प्राप्त हुई है। पट्टे की कार्यालय प्रति अनुसार अप्रार्थी सं.1 को पटटा धारा 157 (1)राज. पंचायत नियम 1996 के तहत् जारी किया गया है। मिसल में श्रीमति सुमन भंसाली का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र बाबत् आबादी भूमि में खरीदसदा/ कब्जासुदा/पुश्तैनी प्लॉट/ मकान का पट्टा बनवाने हेतु है जो किस दिनांक का है व सरपंच ग्राम पंचायत सायला को कब पेश किया,दिनांक अंकित नही है। दिनांक 5.1.13 को आदेशिका में लिया हुआ है,जिसके खसरा नम्बर 4029/1874 बताये है। इसी आदेशिका दिनांक 5.1.13 में मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचों को नियुक्त किया गया है वे तीन वार्ड पंच कौन कौन है, आदेशिका में नाम अंकित नही है। मौका रिपोर्ट दिनांक 19.1.2013 पर दूदसिंह राजपुरोहित,मंगलाराम,चेलाराम छीपा के हस्ताक्षर व मांगीलाल का अंगुष्ठ निशान है,उक्त व्यक्ति वार्ड पंच है या नही? अंकित नही है तथा किस आदेश से उक्त नामित व्यक्तियों को नियुक्त किया गया,अंकित नही है। मौका रिपोर्ट में अप्रार्थी सं.1 का रूपान्तरण सुदा भूखण्ड है या मकान, स्पष्ट कोई अंकित नही है। ग्राम पंचायत सायला द्वारा कमांक/ग्रामपं. /आपत्ति नोटिस/129 दिनांक 30.1.2013 से जारी

इश्तिहार एक माह का जारी किया गया है जबकि मिसल में ऑर्डरशीट दिनांक 30.1.2013 में 7 दिन का ही आपत्ति इश्तिहार जारी करने का निर्णय लिया गया है।आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है जो जारी करने की तारीख से एक माह के भीतर आपत्ति का जारी किया गया है, उक्त आधार पर करीब एक माह यानि दिनांक 29.2.2013 के बाद पट्टा जारी करना चाहिये था जबकि यह पट्टा दिनांक 14.2.2013 को यानि एक माह के पहले यानि15 दिन में ही जारी किया गया है जो गलत है। आपत्ति इश्तिहार भी पंचायत नोटिस बोर्ड व आम चौहटा पर एक साथ चस्पा किया जाना बताया है,यह नोटिस बोर्ड ग्राम पंचायत का है या आमचौहटा का है। किस तारीख को चस्पा किया गया, अंकित नही है। राज. पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहो का विनियमितिकरण करने का प्रावधान है। नियम 157(ख)के अनुसार इन नियमों के लागू होने की तिथी को 50 वर्षो के दौरान् बने पुराने मकानों हेतु 200/-रू. फीस ली जाकर ही विनियमितिकरण किया जा सकता है। अप्रार्थी सं.1 से विक्रय विलेख फीस राशि 200/- लेना, पट्टे की कार्यालय प्रति से जाहिर होता है, इससे साफ जाहिर हैं कि अप्रार्थी सं.1 को पट्टा,इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्ष के दौरान् बने पुराने मकानो हेतु फीस 200/-लेकर जारी किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत सायला ने मकान 50 वर्षो के दौरान् बने होने के सबंध में कोई सबूत (पानी बिजली आदि के बिल आदि) नही लिये है। इस प्रकार पुश्तैनी मकान होना साबित नही है। संपरिवर्तित भूमि का पट्टा जारी नही किया जा सकता। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा सरपंच,ग्राम पंचायत सायला के आदेश दिनांक14.2.2013 (पट्टा सं.2329) के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर सरपंच, ग्राम पंचायत सायला द्वारा जारी पट्टा सं.2329 दिनांक 14.2.2013निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

S.d.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 31.5.2018 को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

S.d.
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर